

मुख्य ध्यान देने योग्य जानकारी:-

1. आईटीआई में प्रवेश हेतु विभाग के पोर्टल www.dsd.mp.gov.in पर प्रवेश से संबंधित जानकारी प्राप्त करें।
2. रजिस्ट्रेशन करने के पूर्व पोर्टल पर उपलब्ध Tutorial को अवश्य देख लें तथा निम्न जानकारियों को भी अवश्य पढ़ लें।
3. अभ्यर्थी को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन का फार्म शासकीय/प्रायवेट आईटीआई के लिए सामान होगा।
4. अभ्यर्थी को ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु पोर्टल शुल्क रुपये 65/- देना होगा, जिसमें से रुपये 15/-पंजीयन के समय तथा रुपये 50/- च्वाइस (विकल्प) लॉक (LOCK) करते समय देने होंगे। अभ्यर्थी यदि पंजीयन त्रुटि सुधार अथवा प्राथमिकताओं के चयन में त्रुटि सुधार करना चाहता है, तो पोर्टल शुल्क राशि रु. 08.50/- देना होगा। इसी प्रकार यदि आवेदक नवीन च्वाइस फिलिंग करना चाहेंगे, तो उन्हें च्वाइस के विकल्प देने के लिए पुनः राशि रु. 50/- देना होगा।
5. पोर्टल पर समस्त ट्रेड में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदक आवेदन कर सकेंगे। परन्तु 05 ट्रेड जैसे वुड वर्क टेक्निशियन(कारपेंटर), ड्रेसमैकिंग, मेसन, स्विंग टेक्नोलॉजी, पेंटर जनरल व्यवसाय में 08वीं कक्षा उत्तीर्ण अंकों के आधार पर प्रवेश की कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी।
6. प्रवेश पश्चात प्रशिक्षण की अवधि में प्रतिदिन पांच घण्टे प्रायोगिक एवं ढाई घंटे सैद्धांतिक कक्षाएं लगती हैं। शैक्षणिक स्कूल/कालेजों की तरह इसमें ग्रीष्मकालीन अवकाश अथवा कोई लंबी अवधि के अवकाश नहीं होते हैं।
7. प्रशिक्षण शुल्क - रु. 4850/- एवं परीक्षा फीस - रु.500/- नियमित प्रशिक्षणार्थी के लिए प्रति वर्ष है। इसके अतिरिक्त कॉशनमनी - रु.250/- (Onetime) देय है।
8. अभ्यर्थी को शासकीय आईटीआई में प्रवेश लेने हेतु अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र, आवश्यक प्रशिक्षण शुल्क तथा वेबसाइट से प्राप्त आवंटन पत्र का प्रिन्ट आउट संपूर्ण दस्तावेज की छायाप्रति के दो सेट एवं दो फोटोग्राफ लेकर संबंधित आईटीआई में स्वयं उपस्थित होना पड़ेगा। आवश्यक दस्तावेज जैसे - 08वीं/10वीं उत्तीर्ण मार्कशीट/प्रमाण पत्र, म.प्र. का मूल निवासी/स्थानीय/वास्तविक निवासी प्रमाण-पत्र, स्थाई जाति प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी (आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थी के लिये)-केवल डीजीटल सर्टिफिकेट मान्य होंगे, अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को वर्तमान वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण-पत्र, विकलांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी जिला चिकित्सा मंडल द्वारा विकलांगता प्रमाण-पत्र, अन्य संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. शासकीय / निजी आईटीआई की सूची पोर्टल पर उपलब्ध है।
10. आई.एम.सी. (IMC) के अंतर्गत प्रवेश हेतु शासकीय आईटीआई की सूची पोर्टल पर उपलब्ध है।
11. डी.एस.टी. (DST) के अंतर्गत प्रवेश हेतु शासकीय आईटीआई की सूची पोर्टल पर उपलब्ध है।
12. शासकीय आईटीआई में छात्रावास की सूची पोर्टल पर उपलब्ध है।
13. प्रदेश की आईटीआई में उपलब्ध ट्रेडों से संबंधित जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध है।
14. प्रवेश की समय सारणी पोर्टल पर उपलब्ध है।
15. प्रवेश हेतु रजिस्ट्रेशन फार्म भरने में किसी भी समस्या हेतु पोर्टल पर दिए गए Customer Care के नंबरों पर बात करें।
